मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग,
:: मंत्रालय ::

//आदेश//

भोपाल, दिनांक२२.जून, 2018

क्रमांक एफ 16-19/2017/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर निवेश परियोजनाओं को उद्योग नीति अंतर्गत स्वीकृत/प्रावधानित सुविधाओं का लाभ निरंतर दिए जाने के संबंध में सुझाव देने हेतु गठित त्रि-स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप निवेश परियोजनाओं को उद्योग नीति अंतर्गत स्वीकृत/प्रावधानित सुविधाओं का लाभ निम्न स्वरूप में दिया जावे :-

1. प्रत्येक इकाई को टैक्स प्रतिपूर्ति सहायता की पात्रता अवधि तथा पात्रता की सीमा पूर्व निर्धारित अनुसार ही रहेगी। उदाहरण के लिए यदि किसी इकाई को प्लांट एवं मशीनरी में पूँजीनिवेश की 100% की सीमा में 07 वर्ष के लिए सहायता राशि की पात्रता आती है और वह 03 वर्ष तक सहायता ले चुकी है तो अब उसे केवल 04 वर्ष की शेष अवधि के लिए 100% की सीमा को यथावत् रखते हुए सहायता राशि की पात्रता आयेगी।

2. जीएसटी 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि वैट/सीएसटी वर्ष 2017-18 में पूरे वर्ष में लागू नहीं रहा है। सहायता राशि की गणना हेतु जीएसटी लागू होने के पूर्व के वर्षों में इकाई द्वारा किए गए विक्रय एवं इन वर्षों में इकाई को पात्रतानुसार दी जा सकने वाली सहायता को शेष वर्षों के लिए सहायता का आधार बनाया जायेगा।

**वास्तविक सहायता राशि** = आधार राशि × टैक्स गणक × विक्रय गणक
*(आधार राशि, टैक्स गणक तथा विक्रय गणक आगे बताये अनुसार गणित होंगे।)*

3. सुविधा प्राप्त इकाई के उत्पाद पर पूर्व में वैट की दर एवं वर्तमान में जीएसटी प्रणाली अंतर्गत उसी उत्पाद पर एसजीएसटी की दर आधार पर इकाई को देय प्रतिपूर्ति सहायता समानुपातिक रूप से कम की जायेगी।

$$\text{टैक्स गणक} = \frac{\text{एसजीएसटी दर}}{\text{वैट दर}}$$

*स्पष्ट किया जाता है कि टैक्स गणक की अधिकतम वैल्यू "1" ही रहेगी।*

4. विक्रय गणक आवेदित वर्ष में विक्रय तथा औसत विक्रय के आधार पर गणित किया जायेगा। स्पष्ट किया जाता है कि इस गणना हेतु विक्रय में निर्यात एवं स्टॉक ट्रान्सफर शामिल नहीं होंगे।

$$\text{विक्रय गणक} = \frac{\text{आवेदित वर्ष में विक्रय}}{\text{औसत विक्रय}}$$

5. ऐसी इकाइयों को जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 31 मार्च, 2014 के पूर्व का है उनमें वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में इकाई को उपलब्ध होने वाली वैट/सीएसटी सहायता प्रतिपूर्ति की औसत राशि को वर्ष 2017-18 एवम् आगामी शेष वर्षो के लिए उपलब्ध होने वाली सहायता की आधार राशि माना जायेगा । साथ ही इन्ही तीन वर्षो के विक्रय के औसत को औसत विक्रय लिया जायेगा । वास्तविक सहायता राशि की गणना बिन्दु क्रमांक-2 अनुसार होगी ।

6. ऐसी इकाइयॉ जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच हुआ है, उनके लिए वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षों के लिए आधार राशि वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में उपलब्ध होने वाली वैट/सीएसटी सहायता प्रतिपूर्ति राशि के औसत के बराबर होगी । औसत विक्रय का निर्धारण निम्नानुसार होगा:-

| **आवेदित वर्ष** | **औसत विक्रय** |
|---|---|
| वर्ष 2017-18 | 2015-16 तथा 2016-17 का विक्रय |
| वर्ष 2018-19 तथा आगामी शेष वर्षों के लिए | 2015-16,2016-17 तथा 2017-18 का औसत विक्रय |

7. ऐसी इकाइयों को जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच हुआ है उनको वर्ष 2016-17 के लिए देय/स्वीकृत सहायता राशि को वर्ष 2017-18 एवंम् आगामी वर्षों के लिए सहायता राशि का आधार राशि माना जायेगा । विक्रय गणक के लिए औसत विक्रय का निर्धारण निम्नानुसार होगा:-

| **आवेदित वर्ष** | **औसत विक्रय** |
|---|---|
| वर्ष 2017-18 | 2016-17 का विक्रय |
| वर्ष 2018-19 | 2016-17 तथा 2017-18 का औसत विक्रय |
| वर्ष 2019-20 तथा आगामी शेष वर्षों के लिए | 2016-17,2017-18 एवं 2018-19 का औसत विक्रय |

8. ऐसी औद्योगिक इकाइयॉ जिनमें 01 अप्रैल 2016 से 30 जून, 2017 की अवधि के मध्य में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ है, को वैट/सीएसटी सहायता के स्थान पर निम्न दो विकल्प उपलब्ध कराये जावेंगे:-

अ- जीएसटी व्यवस्था लागू होने के पश्चात् उद्योग संवर्द्धन नीति, 2014 में संशोधन उपरांत राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 16-18/2013/बी-ग्यारह,

भोपाल दिनांक 13.10.2017 में प्रावधान अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ (वैट/सीएसटी सहायता राशि के विकल्प के रूप में)

**अथवा**

ब- कंडिका 2 में उल्लेख अनुसार वास्तविक सहायता राशि । इस हेतू इकाई द्वारा उत्पादन दिनांक से 30-06-2017 के मध्य जमा किये गये वास्तविक वैट/सीएसटी को वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष अवधि के लिए सहायता हेतु यथानुपात(prorata) आधार पर आधार राशि माना जावेगा। उदाहरणत: अगर उत्पादन दिनांक 01-12-2016 है तो उसके द्वारा दिनांक 01-12-2016 से 30-06-2017 तक जमा किए गए टैक्स के आधार पर यथानुपात(prorata basis) पर वार्षिक जमा टैक्स को वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षों के लिए आधार राशि माना जावेगा । इस स्थिति में इन ईकाईयों के लिए वर्ष 2017-18 ही सहायता अवधि का प्रथम वर्ष होगा । विक्रय गणक की, गणना के लिए औसत विक्रय निम्नानुसार होगा :-

| <u>आवेदित वर्ष</u> | | <u>औसत विक्रय</u> |
|---|---|---|
| वर्ष 2018-19 | - | उत्पादन दिनांक से 30-06-2017 की अवधि में विक्रय का यथानुपात(prorata) के आधार पर औसत वार्षिक विक्रय - (A) |
| वर्ष 2019-20 | - | उपरोक्त- (A), एवं 2018-19 के विक्रय का औसत |
| वर्ष 2020-21 तथा आगामी शेष वर्षों के लिए | - | उपरोक्त- (A), एवम् वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 विक्रय का औसत |

9. ऐसी औद्योगिक इकाइयॉ जिनमें 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि के मध्य में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ है अथवा होना संभावित है, को वैट/सीएसटी सहायता के स्थान पर निम्न दो विकल्प उपलब्ध कराये जावेंगे:-

अ- जीएसटी व्यवस्था लागू होने के पश्चात् उद्योग संवर्द्धन नीति, 2014 में संशोधन उपरांत राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 16-18/2013/बी-ग्यारह, भोपाल दिनांक 13.10.2017 में प्रावधान अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ.

**अथवा**

ब- वैट/सीएसटी सहायता एवं प्रवेश कर छूट के स्थान पर चुकाये गये नेट एसजीएसटी के समतुल्य सहायता । सहायता की पात्रता अवधि एवं पात्रता की सीमा पूर्व निर्धारित अनुसार ही रहेगी । इस स्थिति में इन ईकाईयों हेतु वर्ष 2018-19 को सहायता अवधि का प्रथम वर्ष माना जायेगा । नेट एसजीएसटी

से अभिप्राय एसजीएसटी की ऐसी राशि से है जो अनुवर्ती संव्यवहारों के आधार पर आईजीएसटी के रूप में राज्य से बाहर नही गयी हो और राज्य के खजाने में अंतिम रूप से जमा हो गया हो ।

10. उक्त प्रावधानानुसार सहायता स्वीकृत करने के पूर्व निवेशक से इस आशय का घोषणा-पत्र (Undertaking) लिया जावेगा कि वह इस वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं देगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्रमांक एफ16-19/2017/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 22 जून, 2018

प्रतिलिपि :-

1/ प्रमुख सचिव(समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।

3/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

4/ उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग